पाठ - 2

الدرس الثاني - هندي

नमाज़ से संबंधित अहम अहकाम

الأمور المتعلقة بالصلاة

1. मर्दों के लिए मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। हदीस में आया है 'नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,

मैंने इरादा किया है कि मैं आदेश दूं कि नमाज़ क़ायम की जाए और मैं उन लोगों के घरों की तरफ जाऊं जो हमारे साथ नमाज़ में शरीक नहीं होते और उन्हें आग लगा दूं (बुख़ारी 2420, मुस्लिम 651)

2. मुसलमान को चाहिए कि वह मस्जिद में पूरे सम्मान और इत्मिनान के साथ जाए।

3. मस्जिद में दाखिल होने वाले व्यक्ति के लिए सुन्नत है कि वह पहले दायां पांव अन्दर करे और यह दुआ पढ़े **اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ। "अल्लाहुम्मफ्तह–ली अबवाब रहमतिक,** यानी, "ऐ मेरे अल्लाह! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे (मुस्लिम 1252)

1. सुन्नत है कि इंसान जब मस्जिद में जाए तो बैठने से पहले दो रकअत तहैय्यतुल मस्जिद अदा करे। हजरत अबू क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ अदा करे (बुख़ारी 444, मुस्लिम 714)

5. नमाज़ में शर्मगाह का ढकना ज़रूरी है। मर्द की शर्मगाह नाफ़ से घुटना के बीच का हिस्सा है जबकि औरत सरापा छुपाने का सामान है। अलबत्ता औरत नमाज़ में चेहरे को खोल सकती है।

6. क़िब्ला का रुख़ करना ज़रूरी है और यह दो हालतों के सिवा नमाज़ के कुबूल होने की शर्त है। पहली हालत यह है कि कोई रुकावट हो जैसे बीमारी आदि। और दूसरी हालत यह कि इंसान सफर कर रहा हो। यह हालत नफिल नमाज़ों के साथ खास है। इसमें फर्ज़ नमाज़ शामिल नहीं है।

7. नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना ज़रूरी है। वक़्त से पहले नमाज़ सही नहीं होगी और वक़्त हो जाने के बाद उसमें देरी करना हराम है।

8. नमाज़ के लिए जल्दी जाना चाहिए और पहली पंक्ति में जगह पाने की कोशिश करनी चाहिए और नमाज़ का इन्तिज़ार करना चाहिए। क्योंकि इसमें बड़ी फज़ीलत है। अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया : **यदि लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान और पहली पंक्ति में कितनी फज़ीलत है तो उन्हें कुरआ अन्दाज़ी के बिना उनमें अवसर न मिल सके तो लोग कुरआ अन्दाज़ी भी करेंगे और लोगों को नमाज़ों के लिए जल्दी आने की फज़ीलत मालूम हो जाए तो उसके लिए सबक़त करेंगे (बुख़ारी 615, मुस्लिम–437)**
अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः **इंसान उस वक़्त तक नमाज़ की हालत में होता है जब तक कि नमाज़ उसे रोके रखती है। (बुख़ारी 659, मुस्लिम 649)**